

उत्तमलाल V/S नानालाल
जा.पत्र 88/2021

07/12
2021

प्राथमिक प्रशासन संघों के व्यापक निष्पत्ति 2021 के तहत जा.पत्र आवलहेडा पर आपेक्षित धीमे से विस्तारण हेतु लायी गई। इसके प्राथमिक का आवलोकन किया। प्राथमिक ने ग्राम आवलहेडा निम्न आराजी नम्बर 1123/2676 रकबा 0.03, 1124 रकबा 0.15, 1125 रकबा 0.15, 1126 रकबा 0.02, 1127 रकबा 0.03, 1128 रकबा 0.21, 1130 रकबा 0.11 कीता 7 कुल रकबा 0.70 हे. भूमि की पत्थरगदी फार्म हेतु आवलोकन किया है। प्राथमिक में संप्रमाण नफला जमाखरी सन्वत् 2067-2070 अनुगत उपर आराजीपत्र प्राथमिक के नाम संयुक्त खातेदारी एक ले कर रेकॉर्ड है। अतः प्राथमिक का प्राथमिक पत्र अनुगत धारा 128 प्रिक्ट सीफार किया जाकर ग्राम आवलहेडा निम्न आराजी सं. 1123/2676, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1130 कीता 7 कुल रकबा 0.70 हे. भूमि की बिना किसी के कहने में दरखलनाजी फिर से रजिस्ट्रार नम्बरे अनुगत पत्थरगदी फिर जल के आदेश दिए जाते हैं। फर्मिशा शुल्क 5000000 पर आदेश पंच लौ रज्यर प्राथमिक वहन करेंगे। पालनाजी तदनुगत बहसी को लिख्य जावे कि पक्षकार का लिखित पुचका देकर नियमानुगत पत्थरगदी की जावे एवं पालनाजी रिपोर्ट न्यायपाल्य में प्रस्तुत करें। प्राथमिक केसल शुमार होकर नम्बर से फर्मिशा

2021
163

(श्याम सुन्दर विश्नाई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)